न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/177

श्री मेजर सिंह आयु 71 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री वैंकट सिंह परिहार जाति राजपूत निवासी बालचन्द पाडा, बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. श्री विजय सिंह आयु 69 वर्ष पुत्र श्री वैंकट सिंह परिहार जाति राजपूत निवासी बालचन्द पाडा, बून्दी ।
2. श्रीमती मीनाक्षी आयु 50 वर्ष पुत्री श्री विजय सिंह पत्नी श्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गोपाल मंदिर के पास बालचन्द पाडा बून्दी ।

3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 31.08.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद बंटवारा कृषि भूमि का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रामनगर तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 276 रकबा 38 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि श्री व्यंकट सिंह परिहार की स्वअर्जित थी । वादिनी स्व0 श्री व्यकंट सिंह परिहार के पुत्र श्री विजय सिंह प्रतिवादी कम 01 की पुत्री है । स्व0 श्री व्यंकट जी ने वादग्रस्त आराजी में से 12 बीघा 08 बिस्वा भूमि की वसीयत दिनांक 11.05.2007 को अपने जीवनकाल में वादिनी के पक्ष में निष्पादित कर दी और उसका पंजीयन करवा दिया। शेष भूमि 25 बीघा 15 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी कम 01 एवं प्रतिवादी कम 02 का बराबर–बराबर अर्थात् 1/2 – 1/2 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी पर वादिनी एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है जिससे लगान, पिलाई जमा कराने में परेशानी होती है । ऐसी स्थिति में

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादिनी का 12 बीघा 08 बिस्वा भूमि का नया खाता कायम किया जाकर अलग से जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावे तथा वादिनी को विभाजन में प्राप्त भूमि पर वादिनी को कब्जा दिया जाकर पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 02 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादिनी का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 07.07.2015 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 02 ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण राज्य सरकार का जवाब प्रस्तुत होने एवं कायमी तनकीयात के लिए नियत था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.07.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित करके दिनांक 31.08.2015 आगामी पेशी नियत की गई किन्तु इसकी भी सूचना अपीलान्ट को नहीं हुई । अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर दिनांक 25.02.2016 को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय लिख दिया गया है परन्तु प्राथमिक डिक्री नहीं बनायी । अपीलान्ट ने प्राथमिक डिक्री बनाने के लिए आवेदन किया और दिनांक 04.03.2016 को उक्त डिक्री प्राप्त हुई । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की नकल प्राप्त होने पर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट वादिनी के द्वारा बंटवारे का दावा पेश किया गया था । दावा जवाबदावे एवं तनकीयात कायमी के लिए लम्बित था और नियत तिथि से पूर्व ही इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है जो विधि– विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है इसमें कोई त्रुटि नहीं है । वादिनी वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार दर्ज है और रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के लिए बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली कामयी तनकीयात में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर वाद वादिनी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है । प्रतिवादी कम 02 अपीलान्ट ने जवाबदावे के साथ काउन्टर क्लेम भी पेश किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.8.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा